राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2130/2025

मोहम्मद शाह नवाज खान —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, करनोस, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पचि करनोस, अजमेर से उपकेन्द्र, भगवानपुरा, बाड़मेर में रिक्त पद पर 500 कि.मी. दूर किया गया है। जबकि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी कार्मिक का पदस्थापन भी नहीं किया गया है। अपीलार्थी किड़नी की बीमारी से ग्रसित है, जो एक असाध्य रोग की श्रेणी में आता है। चिकित्सक द्वारा अपीलार्थी की बायोस्पी जांच की गई है तथा चिकित्सक की राय के अनुसार अपीलार्थी को डायलेसीस करवाने की सलाह दी गई है (अनुलग्नक—2)। वर्तमान में अपीलार्थी पशुगणना का कार्य भी संपादित कर रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, करनोस, अजमेर में कार्यरत रखा जावे एवं वेतन सहित समस्त परिणामिक लाभ दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, करनोस, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पचि करनोस, अजमेर से उपकेन्द्र, भगवानपुरा, बाड़मेर में रिक्त पद पर प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य